



संख्या: 0708/मु0वा0नि0/कैम्प

दिनांक 07.08.2020

स्वर्णिम अवसर

शमन योजना-2020

'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में किये गये अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-एम0एस0-09/आठ-3-20-234 विविध 2017/आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3/दिनांक 15.07.2020 के द्वारा **शमन योजना- 2020** के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गई है जोकि दिनांक **21.07.2020** से दिनांक **20.01.2021** तक प्रभाव में रहेगी।

300 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों में क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत तथा किए गये अतिरिक्त निर्माणों में साइड व पीछे के सेट बैक में 100 प्रतिशत तक व फ्रन्ट सेट बैक में 50 प्रतिशत तक किये गये अतिरिक्त निर्माणों के आवेदनो पर **"डीम्ड अप्रूव्ड"** अनुमति होगी। शासनादेश के अनुसार 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल से बड़े भूखण्डों के सभी उपयोगों (भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को छोड़कर) में किये गये निर्माणों पर भी आवंटी अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकेंगे।

इस अनुपम अवसर का लाभ उठाने हेतु परिषद की वेबसाईट **www.upavp.in** अथवा टोल फ्री नं0-1800-180-5333 पर सम्पर्क कर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन आवेदन किया जा सकता है।

आवास आयुक्त